न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. कंवराराम पुत्र जोधाराम 2. झीमोंदेवी पत्नी जोधाराम 3. छलूदेवी पत्नी जोगाराम जाति जाट निवासी नोखडा तहसील नोखडा जिला बाड़मेर	1. उदाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर 2. रामचन्द्र पुत्र मोबताराम 3. खेमाराम पुत्र मोबताराम 4. लूणाराम पुत्र बृजलाल 5. गुणेशीलाल पुत्र बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी नोखड़ा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर 6. तहसीलदारा नोखड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28 / 2019 बअनवान उदाराम बनाम कंवराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 27.11.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत ग्राम नोखड़ा पटवार क्षेत्र नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी हाला तहसील नोखड़ा में खेत खसरा संख्या 355 / 1 रकबा 22.10 बीघा का आया हुआ है। वादी ने उक्त खेत की पक्की नेखमंबदी के आदेश प्रकरण संख्या 6 / 11 द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी से प्राप्त किये जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ने दिनांक 26.05.2016 को दोनों पक्षों के रूबरू वादी के खेत खसरा संख्या 355/1 की मोमी ट्रेस नक्शा एवं लट्ठा ट्रेस नक्शा से बिन्दू कायम कर नेखमबंदी की कार्यवाही की गई। इस नेखमबंदी कार्यवाही में पडौसी खेत खसरा संख्या 357 व 355 के खातेदारों द्वारा वादी के खेत में अतिक्रमण पाया गया, इस अतिक्रमण को हटाने को तैयार नहीं है। वादी कमजोर व शांत प्रवृति के व्यक्ति होने की वजह से प्रतिवादीगण अपने ताकत के बल पर कानून को हाथ में लेकर अवैध रूप से वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी को वादीगण की ही खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह से अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आराजी जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि वक्त सेटलमेंट से अपीलांटगण की पैतृक खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांटगण का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर अपीलांट वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणियां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है तथा अपीलांटगण व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उतरदाता संख्या 1 के मध्य सीमा पर वर्षों पुरानी माठ कायम है तथा अपीलांटगण द्वारा उतरदाता संख्या 1 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है तथा वक्त सेटलमेंट के कब्जे के अनुसार पिछले 70 वर्षों से अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, परन्तु उतरदाता संख्या 01 के वाद पत्र में सरासर झूठे व मनगढंत तथ्य दर्ज करवाये है तथा विवादित भूमि अपीलांटगण के खेत के साथ मौके पर एकल चक के रूप में अवस्थित है जो वक्त सेटलमेंट से चली आ रही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय केवल मात्र उतरदाता संख्या 01 के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटगण ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री चिमनसिंह को नियुक्त किया गया था परन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की ओर से सही ढंग से पैरवी नहीं की गई थी तथा अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा न ही अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश करने हेतु अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है। इस प्रकार अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है ऐसी स्थिति में भी उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादी की खातेदारी का खेत ग्राम नोखड़ा पटवार क्षेत्र नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा में खेत खसरा संख्या 355/1 रकबा 22.10 बीघा का आया हुआ है। वादी ने उक्त खेत की पक्की नेखमंबदी के आदेश प्रकरण संख्या 6/11 द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी से प्राप्त किये जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी ने दिनांक 26.05.2016 को दोनों पक्षों के रूबरू वादी के खेत खसरा संख्या 355/1 की मोमी ट्रेस नक्शा एवं लट्ठा ट्रेस नक्शा से बिन्दू कायम कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नेखमबंदी की कार्यवाही की गई। इस नेखमबंदी कार्यवाही में पडौसी खेत खसरा संख्या 357 व 355 के खातेदारों द्वारा वादी के खेत में अतिक्रमण पाया गया। अपीलांटस द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तैयार नहीं होने के कारण हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें अपीलांटस को सम्मन भिजवाये गये। अपीलांटस द्वारा अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया। वाद के लिए विधि में वर्णित समस्त प्रक्रिया को अपानाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात हस्तगत वाद का निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उतरदाता द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यांयिक दृष्टांत पेश कियेः—RRT 2022-12(Supp.) Page 243

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सही रूप से पैरवी न करने तथा पैरवी ने करने बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना न दिये जाने के कारण अपीलांटगण को उक्त निर्णय के बारे में कोई जानकारी नही हो सकी तथा परन्तु अभी अरसा एक माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 ने हल्का पटवारी के साथ मौके पर आकर अपीलांटगण को कब्जा खाली करने की धमकियां दी जाने लगी तथा हल्का पटवारी ने बताया कि कोर्ट से आपके विरूद्ध निर्णय होकर आपको बेदखल करने का आदेश दिया गया है इसलिये आपक उक्त भूमि खाली करों जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांटगण ने न्यायालय में जाकर पता किया तथा आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांटगण को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिवक्ता द्वारा की गई गलती की सजा पक्षकारा को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादी की खातेदारी का खेत ग्राम नोखड़ा पटवार क्षेत्र नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा में खेत खसरा संख्या 355/1 रकबा 22.10 बीघा का आया हुआ है। वादी ने उक्त खेत की पक्की नेखमंबदी के आदेश प्रकरण संख्या 6/11 द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी से प्राप्त किये जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी ने दिनांक 26.05.2016 को दोनों पक्षों के रूबरू वादी के खेत खसरा संख्या 355/1 की मोमी ट्रेस नक्शा एवं लट्ठा ट्रेस नक्शा से बिन्दू कायम कर नेखमबंदी की कार्यवाही की गई। इस नेखमबंदी कार्यवाही में पडौसी खेत खसरा संख्या 357 व 355 के खातेदारों द्वारा वादी के खेत में अतिक्रमण पाया गया। पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के अनुसार अपीलांटस द्वारा उतरदाता की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है जिसे हटाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे इस भूमि के वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा होना जाहिर हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई के विस्तृत निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया। उतरदाता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2019 बअनवान उदाराम बनाम कंवराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2023 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर